जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 59/2018 गुरजीत सिंह पुत्र बलदेव सिंह गांव डेलवा, तहसील पदमपुर, श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, पदमपुर

26–09–2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री गुरजीत सिंह उपस्थित नहीं है। विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित नही है। तहसीलदार पदमपुर का प्रतिवेदन कमांक 509 दिनांक 17.08.2018 शामिल किया गया।

Web Copy - Not Official

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी गुरजीत सिंह द्वारा लोक सुचना अधिकारी एवं तहसीलदार पदमपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 11.06.2018 सुचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत पेश किया जिसमें उसने तहसीलदार द्वारा वांछित सुचनाए उसके चाहे अनुसार उपलब्ध न करवाये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की है और प्रार्थना की है कि वाछिंत सुचनाऐ सही रूप में उपलब्ध करवायी जावे। अपीलार्थी ने लोक सुचना अधिकारी के समक्ष 11.06.2018 को जो प्रार्थना पत्र सुचना अधिकार अधिनियम के तहत पेश किया था जिसमें उसने निम्नलिखित सुचनाऐं चाही थी।

1. **कार्यालय तहसीलदार पदमपुर परिसर में दिनांक 01.04.2017 से 31.05.2018 तक कार्यरत संविदाकर्मी एवम् अस्थायी (स्थायी कर्मचारियों के अतिरिक्त) कर्मिको की सूचि जिसमें कर्मचारी का नाम, कार्यग्रहण तिथि कार्यमुक्त तिथि/प्रमाणित प्रति**
2. **कार्यालय परिसर में यदि संविदाकर्मी या अस्थायी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर है/रहा है उनकी कार्यग्रहण तिथि व कार्यमुक्ति तिथि /प्रमाणित प्रतिलिपि**
3. **01.04.2017 से 31.05.2018 तक संविदाकर्मी या अस्थायी कार्यरत रहे कार्मिकों की संख्या की प्रमाणित प्रतिलिपि (कार्यालय परिसर में एलआरसी, पंजीयन शाखा, भूअभिलेख,चुनाव शाखा आदि शामिल होगे)**
   उपरोक्त बिन्दु 1 से 3 तक की सूचनाओं की प्रमाणित प्रतिलिपियां।

अपीलार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार पदमपुर ने अपने पत्र 403 दिनांक 02.07.2018 के द्वारा निम्न प्रकार से सूचनाएं प्रषित की गई।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा चाही गई सूचना बिन्दूवार निम्न प्रकार से है।
1. तहसील कार्यालय पदमपुर दिनांक 01.04.2017 से 31.05.2018 तक दो कम्पयूटर आपरेटर एलआरसी में प्लेसमेंट ऐन्जिसियो के मार्फत लगाये गये थे जिनका अनुबन्ध दिनांक 30.06.2018 को पूरा हो गया है एवं श्री रामपालसिंह सेवानिवृत कर्मचारी के रिट/अन्य कार्य के लिए संविदा पर दिनांक 12.04.2017 से लगाया गया है। अस्थायी कर्मचारियो की सूचना दिनांक कमांक 11/07.06. 2018 को दी जा चुकी है।
2. इसकी सूचना शून्य है।
3. कार्यालय में अस्थाई कर्मचारी कोई नहीं है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी के अपील पत्र पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने प्रतिवेदन संख्या 509 दिनांक 17.09.2018 के द्वारा अपीलार्थी व इस कार्यालय को निम्न प्रकार से सूचित किया गया।

1. बिन्दु संख्या 01 की सूचना कार्यालय पत्र दिनांक 403 दिनांक 02.07.2018 को दी जा चुकी है कि कार्यालय में 01 संविदा कर्मी श्री रामपालसिंह दिनांक 12.04.2017 से 28.03.2018 तक कार्यरत रहे है। कोई अस्थाई कर्मी कार्यरत नहीं है। प्लेसमेंट एजेंसी से अनुंबधित मैन बिद मशीन की सूचना पूर्व में नहीं मांगी गई थी, परन्तु अब सूचना मांगे जाने पर प्लेसमेंट एजेंसी सर्व श्री बलकरण सिंह पुत्र भोलासिंह लाल मार्फत गणपति सर्विसेज वार्ड नं. 14 केसरीसिंहपुर, दिनांक 01.03.2017से 28.02.2018 तक कार्यरत रहा है एवं श्री मंसाराम पुत्र चुनीराम मार्फत शहीद भगतसिंह पब्लिक स्कूल समिति लालगढ़ जाटान दिनांक 01.03.2017 से दिनांक 31.07.2017 एवं श्री मसाराम पुत्र चुनीराम मार्फत स्व. पण्डित गोपीराम लंम्बाणी मैमोरियल फाउडेशन ट्रस्ट लालगढ़ जाटान दिनांक 01.08.2017 से दिनांक 28.02.2018 तक इस कार्यालय में कार्यरत है। आदेशों की फोटोप्रतियां संलग्न है।

2. बिन्दु संख्या 02 की सूचना शून्य है।

3. बिन्दु संख्या 03 की सूचना बिन्दु संख्या 01 में दी जा चुकी है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नयी सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है, **फिर भी लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचनाऐ खोज कर प्रार्थी को उक्तानुसार उपलब्ध करवा दी गई है इसलिए अपीलार्थी की अपील पर अब किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही है अतः अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।**

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी श्री गुरजीत सिंह पुत्र बलदेव सिंह द्वारा प्रस्तुत की गई उक्त अपील खारिज की जाती है। आदेश की एक प्रति अपीलार्थी को व सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, पदमपुर को भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर